न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर।

CNR No.– UPSP040167752026

राज्य बनाम शहीद आदि।

मुकदमा अपराध संख्या– 329/2025
धारा– 115(2), 351(3), 131 बीएनएस
थाना–चिलकाना, जिला– सहारनपुर

18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **शहीद, सरफराज व रहमान** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 329/2025, धारा– 115(2), 351(3), 131 बीएनएस, थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर में मय आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को गाँव की रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा प्रधानपति है। अपराध काबिले जमानत है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। तत्पश्चात अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध कर अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। उल्लिखित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **शहीद, सरफराज व रहमान** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 20 हजार रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(विरेश कुमार सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय
सहारनपुर।
JO Code– UP3563